FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0204 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/07/2026 14:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 16/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/07/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/07/2026 14:04:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** RAJKIY SAMUDAYIK SWASTHYA KENDRA, GHARSANA, JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAHUL KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ANIL KUMAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAK 1 PM PHULEWALA, GHARSANA, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK 1 PM PHULEWALA, GHARSANA, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR.MAHENDRA SINGH		पिता:RAKSPAL SINGH	1. WARD NO. 6 RINGUS,SIKAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषयः-डॉ महेन्द्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै राहुल कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति स्वामी उम्र 24 साल निवासी चक 1 पीएम फुलेवाला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूँ। दिनांक 13.07.26 को मेरी पत्नी पिंकी जो तीन माह की गर्भवती थी, के बीमार होने पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र घड़साना में डॉ महेन्द्र सिंह को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चा गर्भ में मरा हुआ बताया तथा सफाई करवाने का कहा, जिस पर मेरे द्वारा डॉक्टर साहब को सफाई करने का कहा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका खर्चा पाणी लगेगा। फिर मेरे द्वारा डॉक्टर साहब से पूछा कि कितना खर्चा पाणी लगेगा तो उसने कहा कि 4,000 रूपये लगेगे। जब रूपये हो तब आ जाना ईलाज कर दूंगा। मै मेरी पत्नी के ईलाज की एवज में डॉ महेन्द्र सिंह को 4,000/रूपये रिश्वत के नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ । मेरी उससे कोई रंजिश नही है, ना ही कोई उधार का लेन देन है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 14.07.26 प्रार्थी एसडी राहुल कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार निवासी चक 1 पीएम फुलेवाला तहसील घड़साना मो.न. कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 14.07.2026 वक्त 12.15 पीएम पर परिवादी श्री राहुल कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति स्वामी उम्र 24 साल निवासी चक 1 पीएम फुलेवाला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चोकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-द्वितीय पर उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वय की हस्तलिपि में लिखित होना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि दिनांक 13.07.26 को मेरी पत्नी पिंकी जो तीन माह की गर्भवती थी, के बीमार होने पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र घड़साना में डॉ महेन्द्र सिंह को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चा गर्भ में मरा हुआ बताया तथा सफाई करवाने का कहा, जिस पर मेरे द्वारा डॉक्टर साहब को सफाई करने का कहा तो डाक्टर साहब ने कहा कि इसका खर्चा पाणी लगेगा। फिर मेरे द्वारा डॉक्टर साहब से पूछा कि कितना खर्चा पाणी लगेगा तो उसने कहा कि 4,000 रूपये लगेगे। जब रूपये हो तब आ जाना ईलाज कर दूंगा। मै मेरी पत्नी के ईलाज की एवज में डॉ महेन्द्र सिंह को 4,000 रूपये रिश्वत के नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी उससे कोई रंजिश नही है, ना ही कोई उधार का लेन देन है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी श्री राहूल कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर का मरीजो को देखने का समय 8 बजे से 2 बजे तक है, इस दौरान कल राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र घड़साना में आरोपी डॉक्टर से मिलकर सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी राहूल कुमार को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री रमन दायमा कानि. को कार्यालय कक्ष में बुलाकर उससे आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राहूल कुमार को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 15.07.2026 वक्त 07.00 एएम पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर श्री रमन दायमा कानि. को आवश्यक हिदायत कर रवाना घड़साना किया गया। वक्त 12.41 पीएम पर श्री रमन दायमा कानि0 ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि मै रवाना होकर घड़साना पहूंचा, जहां परिवादी राहूल कुमार बस स्टेण्ड घड़साना के नजदीक उपस्थित मिला। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु सीएचसी घड़साना की ओर रवाना कर मैं गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया था। परिवादी करीब 10 मिनट बाद सीएचसी घड़साना से वापस आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं सीएचसी घड़साना में डॉक्टर महेन्द्र सिंह से मिला तो उसने मेरी पत्नी के ईलाज की एवज में 4,000 रूपये रिश्वत की मांग की, फिर कम करने का कहने पर 3,500 रूपये रिश्वत लेना तय किया है। मै रिश्वत मांग वाले 3500 रूपये कल डॉक्टर को दूंगा। आज मै रिश्वत राशी की व्यवस्था करूंगा। जिस पर रमन दायमा कानि. ने परिवादी से वार्ता करवाने पर परिवादी ने उक्त वार्ता दोहरायी। जिस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कल सुबह घड़साना उपस्थित मिलने हेतु हिदायत दी गई तथा रमन दायमा कानि. को रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचने की हिदायत दी गई। वक्त 05.25 पीएम पर श्री रमन दायमा कानि0 गोपनीय सत्यापन

में गया हुआ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर उक्त हालात बताये। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी से आरोपी डॉक्टर महेन्द्र सिंह द्वारा 3500 रूपये रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। आईंदा ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 5.45 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह पाबंद कर कल सुबह 9 एएम पर इस कार्यालय में भिजवाने हेतु जरिये तहरीर/दूरभाष निवेदन किया गया। दिनांक 16.07.2026 पर वक्त 09.05 एएम पर तलबिदा गवाहान श्री जोगेन्द्र सिंह कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री संजय कुमार मदान कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। वक्त 9.45 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री जोगेन्द्र सिंह कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री संजय कुमार मदान कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु0आ0, श्री राजेश कुमार मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री रमन दायमा कानि0, श्री उपेन्द्र कुमार कानि0, शिवदत्त कानि0, श्री गजानन्द कानि0 एवं श्री पंकज शर्मा कानि0/ड्रा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स मय सत्यापन वार्ता दिनांक 15.07.26 का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं प्राईवेट कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब घड़साना की ओर रवाना हुआ। फिनॉपथलीन पाउडर श्री गजानन्द कानि0 से प्राईवेट कार के डेस्कबोर्ड में रखवाकर साथ लिया गया। वक्त 12.15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के चक 3 एसटीआर घड़साना स्थित गोपनीय स्थान पर पहूंच वाहनो को रूकवाया गया। जहां परिवादी राहूल कुमार उपस्थित मिला। परिवादी श्री राहूल कुमार का दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जोगेन्द्र सिंह व संजय कुमार मदान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 15.07.26 को परिवादी श्री राहूल कुमार ने आरोपी डॉक्टर महेन्द्र सिंह से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डर किया गया था जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर सुनाना शुरू किया। वक्त 1.00 पीएम तक रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी श्री राहूल कुमार ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी डाक्टर महेन्द्र सिंह की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर के जरिये श्री रमन दायमा कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'V' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द मे अंकित की गई। फिर परिवादी श्री राहूल कुमार ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500/रू के 7 नोट कुल 3500/-रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है - 1एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3AP 462105 2.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2KK 878753 3.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4GP 744463 4.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1TF 567114 5.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8HT 291826 6.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1UN 043268 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0BC 192047 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री गजानन्द कानि. से फिनॉपथलीन पाउडर की शीशी प्राईवेट कार के डेस्कबोर्ड से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनॉपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री जोगेन्द्र सिंह से परिवादी श्री राहूल कुमार की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 3500 रूपये के नोटो को श्री गजानन्द कानि. के जरिये परिवादी के पहनी शर्ट की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री गजानन्द कानि. के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री गजानन्द कानि.के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को

हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री राहूल कुमार को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई तथा श्री गजानन्द कानि0 को फिनॉपथलीन पाउडर की शीशी देकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर रवाना किया गया। वक्त 01.30 पीएम पर मन पु0नि0 ने परिवादी श्री राहूल कुमार के साथ श्री शिवदत्त कानि0, श्री रमन दायमा कानि0, श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 को आरोपी से सम्पर्क करने सीएचसी घड़साना की ओर प्राईवेट कार से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा सीएचसी घड़साना के नजदीक पहूंचा जहा, परिवादी राहूल कुमार सीएचसी घड़साना में प्रवेश कर रहा है तथा श्री रमन दायमा कानि0, श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 बाहर कुछ दूरी पर मोटरसाईकिल पर मुकिम है, मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप जाल बिछाया गया। ट्रेप के ईशारा का इंतजार है। वक्त 1.50 पीएम पर परिवादी श्री राहूल कुमार ने सीएचसी के परिसर के अन्दर से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसड कॉल का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब सीएचसी में प्रवेश करके फीमेल वार्ड कमरा न. 14 आईपीडी पहूंचा तो परिवादी राहूल बाहर खड़ा मिला, जिसने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मै डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होने मेरे से ईशारा कर रूपये अपनी शर्ट की जेब में डलवा लिये तथा मेरी पत्नी पिंकी को सफाई हेतु कमरे के अन्दर ले गये है, जो अभी अन्दर ही है, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गेट के बाहर मुकिम रहा। करीब पांच मिनट बाद एक दाड़ी वाला चश्मा लगा व्यक्ति बाहर निकला, जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही डॉक्टर महेन्द्र सिंह है, जिन्होने मेरे से मेरी पत्नी के गर्भ में करीब तीन माह का बच्चा खराब होने से उसकी सफाई करने की एवज में 3500 रूपये रिश्वत के अपनी जेब में रख लिये। जिस पर उस व्यक्ति को ब्यूरो स्टाफ से काबू करवाया गया, तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली दी गई। उस व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी वार्ड न. 06 रिंगस जिला सीकर हाल निवास राजकीय आवास, सीएचसी परिसर, घड़साना हाल चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, सीएचसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर डॉ महेन्द्र सिंह से परिवादी राहूल कुमार से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो उसने पहले कहा कि मैने कोई रिश्वत राशी नही ली है, फिर बताया किमेरी जेब में किसी ने डाल दी है। तब परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा गया कि आप इसे जानते हो तब कहा कि मै इसे नही जानता। फिर परिवादी ने मौका पर बताया कि मेरे से रिश्वत राशि के 3500 रूपये अपनी जेब में डलवा लिये, मेरे से मेरी पत्नी के ईलाज की एवज में ये रिश्वत राशि ली है।फिर गवाह श्री संजय कुमार मदान ने निर्देशानुसार आरोपी डॉक्टर की जेब को चैक करवाया गया तो उसमें 500-500 रूपये के नोट मिले, जिन्हे गवाह ने निकाले, जिन्हे दोनो गवाहान ने फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करने पर 500-500 रूपये के 7 नोट कुल 3500 रूपये हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। जो गवाह संजय कुमार मदान के पास ही सुरक्षित रहने दिये गये। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी डॉक्टर महेन्द्र सिंह के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी महेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'R-1, R-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी डॉक्टर महेन्द्र सिंह के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'L-1, L-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी डाक्टर महेन्द्र सिंह के पहनी हुई शर्ट बरंग सफेद की उपरी बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, जिसकी धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से डॉक्टर महेन्द्र सिंह को पहनने हेतु दूसरी शर्ट उपलब्ध करवायी जाकर आरोपी डॉक्टर की उतरवायी गई शर्ट बरंग सफेद की उपरी बांयी जेब की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर उसमें उतरवायी गई शर्ट की उपरी बांयी जेब को उलटवाकर धोवन में डूबोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'P-1, P-2' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात शर्ट को सुखाकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। तत्पश्चात निर्देशानुसार गवाह श्री संजय कुमार मदान ने सुरक्षित रखी बरामदशुदा रिश्वत राशि 3500 रूपये के नोट पेश किये, जिनके नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया

गया। उक्त रिश्वत बरामदगी एवं हाथ धुलाई आदि कार्यवाही की मन पुलिस निरीक्षक ने सरकारी मोबाईल से विडियो रिकॉर्डिग की गई, जिसका जुदागाना फर्द पैन ड्राईव तैयार कर शामिल कागजात किया जायेगा। तत्पश्चात आरोपी डॉक्टर महेन्द्र सिंह से परिवादी की पत्नी पिंकी से सम्बधिंत उपचार पर्ची आदि दस्तावेज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि इससे सम्बधिंत कागजात फीमेल वार्ड मे है। तब मौका पर डॉ संदीप पचार प्रभारी सीएचसी घड़साना को तलब किया तो उन्होने फीमेल वार्ड से श्रीमती पिंकी पत्नी राहूल उम्र 22 साल निवासी 1 पीएम डब्बर फुलेवाला की इंडोर टिकट जिस पर ओपीडी न. 65774 व आईपीडी न. 734 दिनांक 16.07.26 वक्त 1.35 पीएम तथा डॉक्टर महेन्द्र जी अंकित है, जिसके साथ पिंकी के नाम की ओपीडी उपचार पर्ची पेश की, जो बाद अवलोकन शामिल कागजात किये गये। वक्त 4.00 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान व परिवादी के लेपटॉप से कनेक्ट किया गया तो उसमें कोई रिकॉर्ड वार्ता नही होना पाया गया। इस सम्बधं में परिवादी राहूल कुमार से पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ घबराहट के कारण मेरे से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का बटन दबाने से रह गया था, इसलिये वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता रिकॉर्ड नही हुई है। वक्त 4.15 पीएम पर आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी वार्ड न. 06 रिंगस जिला सीकर हाल निवास राजकीय आवास, सीएचसी परिसर, घड़साना हाल चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, सीएचसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर को गिरफ्तार करने से सम्बधिंत फर्द कारण गिरफ्तारी मुर्तिब की गई तथा आरोपी को नोटिस धारा 47(1) बीएनएसएस गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाने बाबत लिखित में दिया गया। वक्त 4.30 पीएम पर आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, सीएचसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर को उसके जुर्मो से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्र0नि0अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार मौका पर उपस्थित सीएचसी प्रभारी डॉ संदीप पचार तथा आरोपी के साला डॉ हिम्मत सिंह खर्रा निवासी भारनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को उनके मोबाईल न. पर व आरोपी का भाई जितेन्द्र सिंह दी जाकर फर्द गिरफ्तारी सूचना मुर्तिब की गई। 05.00 पीएम इस समय इस समय अनवान सदर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घड़साना पर ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय का सेमसंग गैलेक्सी एक्स-कवर-7 मॉडल एसएम-जी-556 बी मोबाईल से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री रमन दायमा कानि0 से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग-अलग पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क टी-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क टी-2 अंकित को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। तत्पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। फिर ट्रेप कार्रवाई में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 19 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। फिर डॉ महेन्द्र सिंह हाल चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसुति रोग विषेषज्ञ, सीएचसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर का सीएचसी घड़साना में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। वक्त 6.30 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी राहूल कुमार को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गिरफ्तारशुदा आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह एवं जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सरकारी बोलेरो गाड़ी एवं प्राईवेट कार से रवाना होकर वक्त 9.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 3500रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा शर्ट, शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह को रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर की हवालात में ब्यूरो स्टाफ के साथ जरिये तहरीर जमा करवाया गया। दिनांक 17.07.26 को आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह को माननीय सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर में पेश किये जाने पर माननीय न्यायालय ने 15 योम न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश फरमाये जाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री राहुल कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति स्वामी उम्र 24 साल निवासी चक 1 पीएम फुलेवाला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर की पत्नी पिंकी जो तीन माह की गर्भवती थी, के बीमार होने पर दिनांक 13.07.26 को राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र घड़साना में डॉ महेन्द्र सिंह को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चा गर्भ में मरा हुआ बताया तथा सफाई करवाने का कहा, जिस पर परिवादी द्वारा डॉक्टर साहब को सफाई करने का कहा तो डाक्टर साहब ने कहा कि इसका खर्चा पाणी लगेगा। फिर मेरे द्वारा डॉक्टर साहब से पूछा कि कितना खर्चा पाणी लगेगा तो उसने कहा कि 4,000 रूपये लगेगे। जब रूपये हो तब आ जाना ईलाज कर दूंगा। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.26 पर करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी द्वारा 4000 रूपये रिश्वत की मांग की, फिर परिवादी द्वारा कम करने का कहने पर 3,500 रूपये रिश्वत लेना तय किया है। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक

16.07.26 को परिवादी से आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह द्वारा उसकी पत्नी पिंकी का ईलाज करने से पूर्व सीएचसी घड़साना के फीमेल वार्ड कमरा न. 14 आईपीडी मै ईशारा कर 3500 रूपये अपनी शर्ट की जेब में डलवाना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना आरोपी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान शर्ट की धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग क्रमश मटमैला व हल्का गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वत राशि लेकर परिवादी की पत्नी का ईलाज करना, वक्त सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह हाल चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसुति रोग विषेषज्ञ, सीएचसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी श्री राहूल कुमार से 3500 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी वार्ड न. 06 रिंगस जिला सीकर हाल निवास राजकीय आवास, सीएचसी परिसर, घड़साना हाल चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, सीएचसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(राजेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी वार्ड न. 06 रिंगस जिला सीकर हाल निवास राजकीय आवास, सीएचसी परिसर, घड़साना हाल चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, सीएचसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 329 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1206-09 दिनांक 19.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SUDHA PALAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/07/2026 14:07:07

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)